राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि–5 / **PMAY-G** / एम1 / बैठक / 2017–18   जयपुर, दिनांक **19** अगस्त, 2019

–:: विडियों कॉफ्रेंसिग कार्यवाही विवरण ::–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आवास सॉफ्ट संबंधित समस्यों के निराकरण एवं वर्ष 2019–20 की स्वीकृतियों के क्रम में दिनांक 16.08.2019 को श्री प्रशांत मित्तल Sr.Technich Director (NIC.MoRD) नई दिल्ली के मार्ग दर्शन में श्री अजय मोर, वैज्ञानिक, (NIC.MoRD) नई दिल्ली एवं अधिशाषी अभियंता / आवास प्रभारी एवं एमआईएस मेनेजर जिला परिषद समस्त के साथ विडियों कॉफ्रेंसिग आयोजित की गई। विडियों कॉफ्रेंसिग में एजेंडावार बिन्दूओं पर चर्चा के साथ योजना क्रियान्वयन में आवास सॉफ्ट संबंधित आ रही समस्याओं पर Sr.Technich Director (NIC.MoRD) ; द्वारा चर्चा उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही / मार्गदर्शन / निर्देश प्रदान दियें गये:–

1. **आवास सॉफ्ट से संबंधित प्रकरणः–**

- विधानसभा / लोकसभा क्षेत्रवार आवास सॉफ्ट से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रावधान के संबंध में अवगत कराया गया है कि प्राथमिक रूप से जिलों को दिनांक 23.08.2019 तक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जावेंगी जिससे जिला स्तर से चेक कर के दिनांक 26.08.2019 तक अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया तदअनुसार उक्त संबंध में रिपोर्ट का प्रावधान Activate करा दिया जावेगा।
- Delayed House के प्रकरणों में निर्धारित अवधि में तीनों किश्त जारी करने के उपरान्त आवास पूर्ण होने की फोटो अपलोड करने हेतु Extension Period के प्रकरणों में पूर्णता स्तर नही दर्शाया गया है उनके लिये राज्य स्तर पर प्रदशित नही होते है। अतः ऐसे प्रकरणों में Extension Period बढायें जाने का ऑप्शन NIC द्वारा आज ही उपलब्ध करा दिये जाने बाबत् अवगत कराया गया।
- Delayed House के प्रकरणों में निर्धारित अवधि में पूर्ण आवासों की समीक्षा कर पूर्ण करायें जाने एवं आवास सॉफ्ट में यदि कोई और प्रावधान की आवश्यकता हो तो जिलों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।
- False Success के प्रकरणों के संबंध में आवास सॉफ्ट पर प्रदशित एवं बैंक द्वारा अवगत कराये गये वास्तविक प्रकरणों के अन्तर होने के संबंध में गलत दर्ज किये गये प्रकरणों को हटाने हेतु ब्लॉक स्तर पर ऑपशन उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया।
- इसी प्रकार False Reject के प्रकरणों में बैंक की Window में 1 सप्ताह की अवधि में Option उपलब्ध कराये जा सकनें एवं इस अवधि में ब्लॉक स्तर से सत्यापन उपरांत ही प्रकरण का निस्तारण करने एवं इसके अलावा यदि लाभार्थि को दौहरा भुगतान की जिम्मेंदारी बैंक की होगी के संबंध में बैंक के I.T. Cell से विचार विर्मश करने बाबत निर्णय लिया जावें।
- Remand Module में आवास निर्माण में इन्छुक नही लाभार्थियों का Option ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराने के संबंध में उपलब्ध करा दिये जाने बाबत् अवगत कराया गया।
- Remand Module के प्रकरण ब्लाक स्तर से अपलोड करने हेतु एवं अपलोड प्रकरणों का जिला स्तर से सत्यापन करायें जाने के क्रम में आवश्यक Option उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।
- इसी क्रम में दूसरी बार खाता परिवर्तन एवं Single Page Entry के प्रकरणों की ऑर्डरशीट जनरेट करने हेतु राज्य स्तर पर Option उपलब्ध कराने बाबत राज्य द्वारा विचार करने का अनुरोध किया गया।
- मृत्यु प्रकरणों में शेक डेटा में ब्लॉक स्तर से नाम जोडे गये है उनका NIC स्तर पर लम्बित चल रहे है, के संबंध में अवगत कराया गया जिसके क्रम में वरीष्ठ तकनिकी निदेशक, द्वारा शिट निस्तारण किये जाने बाबत अवगत कराया गया है।
- जिलो द्वारा RMG Bank के IFSC Code परिवर्तित हो जाने के संबंध में अवगत कराया गया है जिस क्रम में बैंक का मुख्यालय जोधपुर होने के कारण अधिशाषी अभियंता जोधपुर को RMG बैंक से उनकी शांखाओं की लिस्ट मय पुराने व नये IFSC Code की सूची Excel Format में प्राप्त कर भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

- गंगानगर जिले द्वारा स्वीकृति के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर लाभार्थी का नाम संशोधन नही हो रहा है के संबंध में अवगत कराया गया है जिस क्रम में NIC द्वारा संबंधित लाभार्थी के परिवार के आगे व पीछे क्रम के SECC data sheet का Option उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।
- जैसलमेंर व चुरू जिलें द्वारा द्वारा अवगत कराया गया लाभार्थी द्वारा गॉव बदलने के कारण अन्य ग्राम पंचायत में चला गया है के संबंध श्री अजय मोर द्वारा अवगत कराया गया कि दोना ग्राम पंचायतों द्वारा Mapping की जा सकती है परन्तु लाभार्थी का नाम नयी ग्राम पंचायत का नाम सूची में अंतिम स्थान पर जुडेगा, अथवा बिना ग्राम पंचायत बदले आवास की वास्तविक जियों टेग अपलोड किये जाने पर भी आवास का लाभ दिया जा सकता है।
- झालावाड जिला द्वारा लाभार्थी एक ग्राम पंचायत में प्रदशित नही होने के कारण पहचान नही हो सकने बाबत अवगत कराय गय जिस क्रम में PMAY-G स्पोर्ट पर शिकायत दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।
- योजना आरम्भ में जिन पात्र परिवारों के नाम ग्राम सभा द्वारा त्रुटिवश हटा दिये गये है ऐसे लाभार्थियों की लिस्ट ग्राम सभा के रिजोलुशन के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार स्तर पर निर्णय हेतु भिजवानें हेतु निर्देशित किया गया।
- भूमिहीन पात्र परिवारों की स्वीकृति पत्र जारी नही होने के क्रम में वरिष्ठ तकनिकी निदेशक द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि लाभार्थी को भूमि उपलब्ध कराने कार्यवाही के संबंध में जारी पत्र की प्रति अपलोड करने पर स्वीकृति जारी करने का प्रावधान प्रभावी है, लेकिन लाभार्थी को प्रथम किश्त भूमि आवंटन के उपरान्त ही जारी की जावें।
- गत वर्षो के आवटित लक्ष्यों से कम स्वीकृति जारी किये जाने के कारण उस वर्ष के बकाया लक्ष्यों के विरूद्ध स्वीकृति जारी करने के संबंध में अवगत कराया गया उक्त प्रकरणों में उसी वर्ष के बकाया लक्ष्यों के विरूद्ध स्वीकृति जारी की जा सकती है।
- वरिष्ठ तकनिकी निदेशक NIC द्वारा अवगत कराया गया आवास सॉफ्ट से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों को nic.in की Email id के माध्यम से भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया

उक्त के अतिरिक्त दूसरी बार खाता परिवर्तन के प्रकरण निर्धारित प्रारूप में भिजवानें मृत्यु प्रकरण में आवास सॉफ्ट में परिवार के सदस्य का नाम प्रदशित नही होने पर आवश्यक जानकारी, 21634 भूमिहीन परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामोंत्थान शिविरों में भुखण्ड आवंटन, वर्ष 2019–20 के आवंटित लक्ष्यानुसार सत प्रतिशत स्वीकृतिया जारी करानें, रिमाण्ड मोड्यूल पर 92097 राज्य स्तर से सत्यापन उपरान्त मात्र 7169 प्रकरणों को ग्रामसभा में भेजे जानें पर तुरन्त सभी प्रकरणों को ग्रामसभा में भिजवाकर सत्यापन करायें जाने की कार्यवाही करानें, मैसन प्रशिक्षण व दिनांक 24.08.2019 को पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराकर अन्य योजनाओं से देय लाभों की स्वीकृति की कार्यवाही हेतु जिलों को निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जयपाल सिंह मेडतिया)
राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि जयपुर।
2 निजी सचिव, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3 निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रावि जयपुर।
4 वरिष्ठ तकनिकी निदेशक, NIC ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
5 जिला कलक्टर, जिला समस्त राजस्थान।
6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
7 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर।
8 श्री अजय मोर, वैज्ञानिक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
9 अधिशाषी अभियंता/ आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त।

राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G